.P.Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
20/2/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप। वकील अप्रार्थी उप। वास्ते बहस प्रा.पत्र हेतु समय चाहा जो न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/02/24 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
23/2/2024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप। वकील अप्रार्थी उप। बहस हेतु समय चाहते है। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/3/24 को पेश हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
05/03/24	पत्रावली पेश। वकुलाय उप। उभयपक्ष बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अधि. प्रार्थी-" प्रार्थीगण के पड़दादा किरता जी के सहखातेदारी की भूमि ख. सं. 356 (86 बीघा), ख. सं. 397 (23 बीघा 13 बिस्वा) ग्राम बम्बोर दर्जियान में आई हुई है। इस भूमि में किरता जी का 3/4 हि. निहीत था। इस भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण का 1/45 हि. बनता है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा विवादित भूमि में से अपने 1/9 हि. का बेचान कर दिया	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the O...
	गया है। भविष्य में वाद बहुलता ना बढ़े इसलिए अप्रार्थी सं. 01 को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीगण के 1/45 हि. का बेचान ना करे एवं प्रार्थीगण के कब्जे में दखल अंदाजी ना करे।"	
	मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी सं. 01..." अप्रार्थी सं. 01 ने अपनी खातेदारी भूमि में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान किया है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 01 ने 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि ख. सं. 391 में उक्त बेचान के बदले प्राप्त की है, अतः पैतृक जमीन कम होने का प्रश्न नहीं बनता। प्रार्थीगण ने वंशावली में अप्रार्थी सं. 01 की पत्नी एवं पुत्री कमली को पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से में वाद में वर्णित भूमि के अलावा अन्य भूमि भी आई हुई है, प्रार्थीगण को संपूर्ण हिस्से में घोषणा हेतु वाद लाना चाहिए था। प्रत्येक प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 1/45 हि. ना होकर 1/63 हि. बनता है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा बेचान की गई भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। अप्रार्थी सं. 01 का कथन सरासर गलत है कि उसका मकान ख. सं. 356 व 387 में बना हुआ है, वरन प्रार्थी सं. 01 का मकान ख. सं. 391 में बना हुआ है। रा. का. अ. की धारा 53 के अनुसार सामलाती भूमि का विभाजन का दावा एकसाथ करना आवश्यक है, जो प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है, अतः प्रा. पत्र	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) ... सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) ...

Ju.

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of .... at ....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	खारिज फरमाया जावे।" उपरोक्त बहस, तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर निम्नानुसार प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाता है- 1. दिनांक 27/06/23 को जारी रजि. बैयनामा - ख. सं. 397 में से 1 बीघा 15 बिस्वा, ख. सं. 356 में से 5 बीघा 4 बिस्वा 19.2 बिस्वांशी कृषि भूमि का बेचान जोधाराम, सुखाराम, कालूराम द्वारा आशा व निरमा को किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र दिनांक 18/07/23 को पेश किया गया, किंतु उक्त बेचान के किसी तथ्य का उल्लेख प्रा. पत्र में नहीं किया गया। प्रा. पत्र पेश करने के समय भी बैयनामा संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब अप्रार्थी सं. 01 के संदर्भ में बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा बेचान होना admit किया गया। स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा concealment of facts किया गया है। यह बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय होता है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर 2. दिनांक 27/06/23 को executed registered हकतर्कनामा -" जोधाराम द्वारा कालूराम के पक्ष में 1.4722 बीघा	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
	भूमि का हस्तक्षेप किया गया, जो पैतृक संपत्ति बेचान से अर्जित राशि द्वारा खरीद किया जाना अप्रार्थी सं. 01 द्वारा स्वीकार किया गया है। इसका उल्लेख भी प्रा. पत्र में नहीं किया गया है यह बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध तय होता है	
	3. प्रार्थी सं. 01 का मकान ख. सं. 356 व 387 में बना हुआ है इसके संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज, फोटो आदि पेश नहीं होने से यह प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।	
	4. अप्रार्थी सं. 01 द्वारा claim किया जाना कि प्रार्थी सं. 01 का मकान ख. सं. 391 में बना हुआ है। दस्तावेज के अभाव में यह अप्रार्थी सं. 01 के पक्ष में साबित नहीं होता है	
	5. प्रार्थीगण द्वारा कालुराम की पुत्री कमली को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसे misjoinder of parties की श्रेणी में मानते हुए प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किया जाता है।	
	6. प्रार्थीगण द्वारा वाद ख. सं. 356, 397 के संबंध में दायर किया गया है, जबकि अप्रार्थी सं. 01 के अनुसार अन्य 10 खसरों में भी पैतृक भूमि आयी हुई है। अन्य खसरों की भूमि पैतृक है अथवा नहीं, यह साक्ष्य के दौरान तय किया जावेगा, किंतु यदि अन्य खसरे पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आते हैं तो यह suit part	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	partition की श्रेणी में आ जावेगा, जो विधि- सम्मत नहीं होगा। उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी-गण का प्रा- पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Psing सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	